

**वायरलिंग**

मुद्रित  
022-26101010



**मुज्ज्य स्वतंत्र गांगा मिशन-उत्तर प्रदेश**  
**जगाति गंगा दया गांगीपत्र चलापृति देहांगा, ३०५०**  
**प्राप्त नं०-१८, रोड़०-२, गोपीनाथ विहारी बोरामाळ, लालापाट्टन**  
**Website: [www.smugangamission.org](http://www.smugangamission.org) Email: [ganga@smugangamission.org](mailto:ganga@smugangamission.org)**

पत्र संख्या- ७२२ / नं०-१८/C / SMCG-IP / ०७

मिनिंग : १५/०८/२०२३

प्रेस.

साई.

नमामि गंगे तथा गांगीपत्र दिवार,

च०५० शासन, लखणऊ।

सेवा में  
**गिलासिकारी/अस्था जिला गंगा समिति,**  
**अस्था, अमरेश्वर नारा, चारालको, उत्तरायण्डु, अमोही, चावा, विक्रमांड, हीमुखुर, महोना, संत रविदास नारा**  
**(निर्देश), एवं सोनभद्र।**

विषय—जीवीपीओ की नियुक्ति हेतु अधिकार विधि से अवातर कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

तथा पत्र संख्या ७४८/०७१-सी/एसएसटीजी०/०२ दिनांक ०४.०७.२०२३ का सदर्ग ग्रहण करने के काट करें। संदर्भिते पर्ने के माध्यम से समिति के सचिवालयों को सुदृढ़ कराने के लिये नवीन व्यवस्था हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु अवश्यक कारबाही कराये जाने का अनुरुप लिया गया था।

जल्लीखोल्य है कि चार्जीय सचिव स्वरूप गंगा मिशन के काट नवीन व्यवस्था हेतु प्राप्त निर्देशों के बिन्दु संख्या ०४ पर जल्लीखोल्य है कि जीवीपीओ तथा एसएसटीजी० के साथतकार हेतु कमेटी के विवरण का दायित्व DCCP.D.SMC.G. का दिया गया है। इसके साथ ही पत्र में एसएसटीजी० के प्रतिनिधि को समिलित किये जाने के लिये जिरो है। अतः उत्तरकार कमेटी के कम में जिला गंगा समिति अपने स्तर पर एनारायोजी० तथा एसएसटीजी० से नामित प्रतिनिधियों को समिलित करते हुये साथतकार समिति का निर्धारण कर एनारायोजी० तथा एसएसटीजी० को अवगत करायेगी।

उत्तर साथतकार कमेटी हेतु राज्य स्वरूप गंगा मिशन स्तर से सी०पीओ, एसएसटीजी० को नामित किया जाता है। साथान्तर हेतु विज्ञप्त यथा का आतान एसएसटीजी० माध्यम से कराया जाएगा।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों का अविलम्ब अनुपालन कराने का काट करें।

मवदीय,

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. महानदेशफ-चार्टर्ड गंगा मिशन-नई दिल्ली।
२. प्रसुत सचिव-नमामि गंगे एवं गांगीपत्र दिवार, च०५०।
३. श्री जगमोहन गुप्ता, सराहनकार, एनएससीजी, नई दिल्ली।
४. सामिक्षित मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी जिला गंगा समिति, च०५०।
५. सामिक्षित प्रगतीय चन अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, च०५०।
६. सी०पीओ, राज्य स्वरूप गंगा मिशन-च०५०।

सचिव, नमामि गंगे एवं गांगीपत्र दिवार, च०५०।

विभाग/परियोजना निवेशक, राज्य स्वरूप गंगा मिशन-च०५०।

(ज्ञ० वलतकार सिंह)

ज्ञ० ०८-२३

सचिव, नमामि गंगे एवं गांगीपत्र दिवार, च०५०।

विभाग/परियोजना निवेशक, राज्य स्वरूप गंगा मिशन-च०५०।



राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा नियन्त्रण  
National Mission for Clean Ganga

Ad-41/9/2023-ESS NMCG

Dated: - 1<sup>st</sup> August, 2023

To:

All District Magistrates & Chairperson,  
District Ganga Committee (Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal)

Subject: - Deployment of a dedicated cadre of District Project Officers (DPOs) in DGCs and State Project Assistants in SPMGs/SMCG.

This has reference regarding the deployment of a dedicated cadre of District Project Officers (DPOs) in DGCs and State Project Assistants in SPMGs/SMCG.

2. It has been reported that only 47 DPOs, 2 SPAs (Uttarakhand and Bihar) and 2 Project Assistants at NMCG office have joined. The remaining 92 DPOs and 2 SPAs are to be recruited by concerned DGCs and SPMGs as per the suggested guidelines of NMCG.

3. You are requested to issue the advertisement and to complete the process of deployment of DPOs/SPAs at the earliest. The expenditure on the advertisement may be booked to "National Ganga Plan – Non EAP- General".

4. The composition of the Committee for conducting interviews for the selection of DPOs and SPAs will be decided by the concerned DGC/PD, SMCG. NMCG will be represented by ED (Admin.) or his representative in the Selection Committees for both DPOs and SPAs.

5. The DPOs, SPAs and Project Assistants at HQ are entitled to leave of 12 days only in a calendar year (one leave per completed month).

6. It is also requested that the attendance of DPOs/SPAs should be sent to respective SPMGs by the last day of the month to ensure the timely release of salaries.

Yours sincerely,

(Priyanka Jha)  
Environment Specialist, NMCG

Copy to: Project Directors, SMCG/SPMG (Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal).